2025/803

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ

रमजान खान आदि — बनाम — फातमा आदि

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,53 आरटीएक्ट — प्रकरण संख्या 544 वर्ष 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
07.10.2025	वकील वादीगण द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 17.10.2025 को पेश हो।	9by कार्यालय रमजान खां शकीर खान
15.10.2025	वकील वादी ने प्रार्थना-पत्र मिसल पेशी पेश करते पर प्रत्यावली को पेशी में लिया गया। बुलाए प्रतिवादीगण उपस्थित। वादी व प्रतिवादीगण द्वारा आपस में हाजिर अदालत आकर राजीनामा पेश किया जिसे बाद तसदीक शामिल फाईल किया गया। प्रत्यावली वास्ते स्टेट एडवाइस आईन्दा तारीख 17.10.2025 को पेश हो।	फातिमा फातिमा नुसरत कालुखां नजमा
17.10.2025	बुलाए प्रतिवादीगण उपस्थित। स्टेट एडवाइस पर उक्त वाद मुल्की गैर की प्रत्यावली का अवलोकन किया गया। प्रत्यावली पर उपलब्ध रिपोर्ट व वादी प्रतिवादी के राजीनामा के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाता है। पूर्व विवरण सहित निर्णय अलग से लिखाया जाकर फाईल किया जावे। प्रत्यावली वापस की जाकर बाद तसदीक तकमील नाकाबिल दाखिल दफ्तर हो।	शर्मा शर्मा रजिया बानो अफसाना भाजिया बानो हमीदखां कुरशीद खान अमरीक खान

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.10.24 16:52:32 IST
Reason: SelfAttested